लोक सभा

बुधवार, 17 अगस्त, 2011/26 श्रावण, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन* हुई]

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

लोकपाल विधेयक के संबंध में श्री अन्ना हजारे की गिरफ्तारी और अनिश्चितकालीन अनशन

अध्यक्ष महोदया: माननीय प्रधानमंत्री जी।

...(व्यवधान)

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदया।

कल नई दिल्ली में जो घटनाएं घटित हुईं, मैं दु:ख के साथ उन घटनाओं से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

माननीय सदस्यगण जानते हैं कि व्यापक सलाह और विचार-विमर्श, जिसमें संयुक्त ड्राफ्टिंग कमेटी तथा संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी दलों की बैठक में हुई चर्चा शामिल है, के बाद सरकार ने लोकपाल गठित करने से संबंधित एक विधेयक लोकसभा में पेश किया था। उक्त विधेयक को संसद की संबंधित स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

महोदया, उस विधेयक को पुर:स्थापित करने के बावजूद, श्री अन्ना हजारे तथा उनके समर्थक अपनी इस मांग पर अड़े हुए हैं कि श्री अन्ना हजारे द्वारा बनाया गया जन लोकपाल बिल संसद में पेश किया जाना चाहिए और उसी बिल को ही संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए। इस मांग के समर्थन में श्री अन्ना हजारे ने कुछ समय पूर्व घोषणा की थी कि वे 16 अगस्त, 2011 से अनशन करेंगे।

दिनांक 2 अगस्त, 2011 को इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम एक संस्था द्वारा दिल्ली पुलिस को एक प्रार्थना-पत्र भेजा गया था जिसमें 16 अगस्त, 2011 से लेकर एक महीने तक अनशन करने की अनुमति मांगी गई थी। एक उपयुक्त स्थान का पता लगाने और उस स्थान पर अनशन करने की अनुमति देने के लिए शर्तें निर्धारित करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा आवेदकों के साथ विचार-विमर्श किया गया। अंतत:, 13 अगस्त, 2011 को दिल्ली पुलिस ने आवेदकों को सूचित किया कि फिरोजशाह कोटला के निकट स्थित जयप्रकाश नारायण पार्क में विरोध करने के लिए अनुमति दी जाएगी। परंतु, इसके साथ शर्त यह थी कि उक्त जमीन के मालिक अनुमति दें और आवेदक कुछ शर्तें पूरी करें।

दिल्ली पुलिस ने आवेदकों को यह भी सूचित किया कि उन्हें शर्तों का पालन करने से संबंधित एक वचनपत्र भी देना होगा।

तत्पश्चात्, 15 अगस्त, 2011 को आयोजकों ने छ: शर्तों, जिनमें यह एक भी थी कि अनशन सिर्फ तीन दिन का होगा, को मानने से इंकार कर दिया। इसलिए दिल्ली पुलिस ने आवेदकों को सूचित किया कि चूंकि उन्होंने कुछ शर्तों को मानने और सभी शर्तों का पालन करने से संबंधित वचनपत्र देने से इंकार कर दिया है, इसलिए जयप्रकाश नारायण पार्क में अनशन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जयप्रकाश नारायण पार्क और उसके आसपास कुछ क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई।

15 अगस्त, 2011 को ही श्री अन्ना हज़ारे ने सार्वजनिक वक्तव्य के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि वे और उनके समर्थक जय प्रकाश नारायण पार्क में इकट्ठे होंगे और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लागू की गई निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेंगे। कल सुबह दिल्ली पुलिस ने स्थिति की समीक्षा की। वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि श्री अन्ना हज़ारे और उनके समर्थक संज्ञेज्ञ अपराध करेंगे और इससे शांति भंग होने की संभावना है।...*(व्यवधान)* इसलिए, एहतियाती उपाय के रूप में श्री अन्ना हज़ारे और उनके छ: सहयोगियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107 के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अलीपुर रोड स्थिति दिल्ली पुलिस आफीसर्स मेस ले जाया गया। उसके बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के लिए पुलिस रिमांड की मांग नहीं की।...*(व्यवधान)* मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार लोगों को निषेधाज्ञा का उल्लंघन न करने की शर्त पर उनके निजी बंधपत्र पर छोड़ने की पेशकश की। तथापि श्री अन्ना हज़ारे और उनके समर्थकों ने ऐसा वचनपत्र और निजी बंधपत्र देने से मना कर दिया। इसलिए, मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार लोगों को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इस बीच कल लगभग 2603 व्यक्तियों को दिल्ली में तब बंदी बनाया गया, जब वे उन इलाकों की ओर बढ़ रहे थे, जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई थी। *...(व्यवधान)* उन सभी लोगों को कल शाम तक छोड़ दिया गया था।

कल देर शाम, दिल्ली पुलिस को यह सूचना मिली कि श्री अन्ना हजारे दिल्ली पुलिस के आदेशों को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय जाना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस को यह भी सूचना मिली कि याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए आज बुधवार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सकता है। इस बात पर यकीन करने के उचित आधार थे कि चूंकि श्री अन्ना हजारे ने कानूनी उपाय का विकल्प चुना था, इसलिए दिल्ली पुलिस को तत्काल शांति भंग होने अथवा शांति को ज्यादा बाधित किए जाने की आशंका तब नहीं थी जब यदि गिरफ्तार किए गए लोगों को छोड़ दिया जाता।...*(व्यवधान)* मुझे समाप्त करने दिजिए।...*(व्यवधान)* इसलिए, दिल्ली पुलिस संबंधित मजिस्ट्रेट के पस अपने पूर्व के आदेशों की समीक्षा करने के लिए गई और मजिस्ट्रेट ने श्री अन्ना हजारे और अन्य गिरफ्तार किए गए लोगों को कल लगभग 7 बजे शाम रिहा कर दिया। जेल प्राधिकारियों ने श्री अन्ना हज़ारे तथा अन्य लोगों को सूचित किया कि उनको छोड़ने के आदेश मिल गए हैं। फिर भी श्री अन्ना हज़ारे और उनके सहयोगियों ने (एक को छोड़कर) जेल परिसर छोड़कर जाने से मना कर दिया, जब तक कि सरकार यह वचन न दे दे कि उनको जयप्रकाश नारायण पार्क में बिना शर्त विरोध प्रदर्शन/अनशन करने दिया जाएगा।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः हमारी सरकार शांतिपूर्ण विरोध करने के नागरिकों के अधिकार का समर्थन करती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कृपया, उन्हें समाप्त करने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

डॉ. मनमोहन सिंहः वास्तव में, दिल्ली पुलिस ने ऐसे कई विरोध प्रदर्शनों की अनुमति दी है, लेकिन हर बार उपयुक्त शर्तें लगाई गईं हैं और संगठनों को हमेशा ही सभी शर्तों का पालन करने संबंधी लिखित आश्वासन देने की जरूरत पड़ी है।...*(व्यवधान)* श्री अन्ना हजारे और उनके समर्थकों को भी अपना विरोध और अनशन करने की अनुमति दे दी जाती यदि वे उन शर्तों को मान लेते और शर्तों का पालन करने का लिखित आश्वासन दे देते जिनके अधीन उन्हें अनुमति दी गई थी।...*(व्यवधान)* चूंकि उन्होंने ऐसा करने से मना किया इसलिए दिल्ली पुलिस को विरोध-अनशन करने की अनुमति देने से इनकार करना ही पड़ा।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री यशवंत सिन्हा (हजारी बाग): सरकार कौन चला रहा है? क्या आप सरकार चला रहे हैं या दिल्ली पुलिस?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, मैं माननीय नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय प्रधानमंत्री को अपना वक्तव्य पूरा करने दें...*(व्यवधान)* माननीय प्रधानमंत्री को अपना भाषण पूरा करने दें और उसके बाद वे बोल सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कृपया बैठ जाइए। कृपया बैठिए। माननीय प्रधानमंत्री को अपना भाषण पूरा करने दें।

*...(व्यवधान)**

डॉ. मनमोहन सिंहः महोदया सरकार इस बात पर जोर देना चाहती है कि देश के समक्ष मुद्दा यह नहीं है कि लोकपाल विधेयक आवश्यक अथवा वांछित है या नहीं। इस सदन में उपस्थित हम सभी सहमत हैं कि जल्दी से जल्दी एक लोकपाल विधेयक पारित करना जरूरी है। प्रश्न यह है कि कानून की रूपरेखा कौन बनाता है और कानून कौन बनाता है? मैं कहना चाहता हूं कि परम्परागत स्वीकार्य प्रथा यह रही है कि कार्यपालिका विधेयक का प्रारूप तैयार करती है और इसे संसद के समक्ष रखती है और जिस पर संसद में बहस होती है और यदि आवश्यक हो, तो संशोधनों के साथ विधेयक को अंगीकार कर लिया जाता है...*(व्यवधान)* विधेयक को स्वीकार करने की प्रक्रिया में, श्री अन्ना हजारे और अन्य लोगों के पास यह अवसर होगा कि वे स्थायी समिति के समक्ष अपना विचार व्यक्त कर सकें जिसके पास माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस विधेयक को भेज दिया गया है। स्थायी समिति के साथ-साथ संसद भी इस विधेयक में संशोधन कर सकती है यदि वह ऐसा करना चाहे। तथापि, मैं किसी ऐसे संवैधानिक दर्शन अथवा सिद्धांत से अवगत नहीं हूं, जो किसी को भी कानून बनाने के संसद के पूर्ण विशेषाधिकार पर प्रश्न उठाने की अनुमति देता हो। लोकपाल पर कानून बनाने में सरकार ने सु-स्थापित सिद्धांतों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया है। जहां तक मुझे पता चला है, श्री अन्ना हजारे इन सिद्धांतों पर प्रश्न उठाते हैं और अपने जन-लोकपाल विधेयक को संसद पर थोपने के अधिकार का दावा करते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कृपया वक्तव्य पूरा करने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः प्रधानमंत्री के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ. मनमोहन सिंह: महोदया, मैं मानता हूं कि श्री अन्ना हजारे एक सुदृढ़ और प्रभावी लोकपाल बनाने के अपने अभियान में उच्च आदर्शों से प्रेरित हो सकते हैं। फिर भी, संसद पर अपने विधेयक के प्रारूप को थोपने का जो रास्ता उन्होंने चुना है, वह पूर्णत: गलत धारणा है और इसके हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।...*(व्यवधान)*

हमारी सरकार समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई टकराव नहीं चाहती। लेकिन, जब समाज के कुछ वर्ग जान-बूझकर सरकार के अधिकारों और संसद के विशेषाधिकारों को चुनौती देते हैं, तो यह सरकार का प्रतिबद्ध दायित्व बन जाता है कि वह शांति और सद्भाव कायम करे। दिल्ली पुलिस, जिसे एक प्राधिकरण के रूप में जिम्मेदारी दी गई है, उसने राजधानी में शांति और सद्भाव कायम करने के लिए न्यूनतम आवश्यक कदम उठाए।...*(व्यवधान)* दुर्भाग्य से इसके परिणामस्वरूप श्री अन्ना हजारे और उनके कुछ समर्थकों को पहले गिरफ्तार करना पड़ा और फिर बाद में रिहा करना पड़ा। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल की घटनाओं को आज अथवा भविष्य में दोहराया नहीं जाएगा...*(व्यवधान)*

महोदया, मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार दूर करने की सरकार की सोच और श्री अन्ना हजारे की सोच में कोई फर्क नहीं है। मैंने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भ्रष्टाचार से कारगर तरीके से निपटने की जरूरत पर काफी ज़ोर दिया था...*(व्यवधान)* मैं सदन को यह यकीन दिलाना चाहूंगा कि हम एक ऐसी सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हर समय पारदर्शी, जवाबदेह और जिम्मेदार हो और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हो। लेकिन, जैसा कि मैंने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि जादू की ऐसी कोई छड़ी नहीं है, जिससे हम एक ही बार में भ्रष्टाचार से निजात पा सवें।... *(व्यवधान)*। हमें एक साथ अनेक मोर्चों पर काम करना होगा। मैंने अपने 15 अगस्त के भाषण में भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जड़ाई को मजबूत बनाने के लिए हमारे द्वारा निर्धारित किये गए कुछ उपायों का उल्लेख किया था...*(व्यवधान)* मैं सदन के सभी वर्गों को भ्रष्टाचार के इस कैंसर से निपटने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए आमंत्रित करता हूं...*(व्यवधान)*

महोदया, कल जो कुछ घटनाएं हुई हैं उनके बारे में मैं केवल यही कहूंगा कि एक गतिशील लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन, वैचारित मतभेदों को आपसी बातचीत और सहमति के जरिए सुलझाया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*। जो लोग यह सोचते हैं कि केवल उन्हीं की आवाज़ 1 अरब 20 करोड़ जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है, उन्हें हकीकत में वह स्थिति हासिल करके वैसा दिखाना चाहिए। उन्हें संसद में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को संसद में वह काम करने देना चाहिए, जिस काम के लिए उन्हें चुना गया है. ..*(व्यवधान)*

महोदया, भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अब हम विश्व मंच पर एक अहम शख्सियत के रूप में उभर रहे हैं। ऐसी कई ताकतें हैं जो भारत को दुनिया के देशों में उसकी सही जगह पर देखना नहीं चाहतीं। हमें उनके हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। हमें ऐसे हालात नहीं पैदा करने चाहिए जिनमें हमारी आर्थिक तरक्की आंतरिक मतभेदों की वजह से बाधित हो। हमें अपना ध्यान आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने पर केन्द्रित करना चाहिए ताकि 'आम आदमी' को इस तरक्की का लाभ मिले... *(व्यवधान)*

महोदया, मैं इस सम्मानित सदन के सभी वर्गों से यह सुनिश्चित करने की अपील करता हूं कि सरकार तथा उसकी कार्रवाई और संसद तथा उसकी कार्यवाही को सुचारू और प्रभावी रूप से चलने दें। इसका कोई और विकल्प नहीं है। यदि कुछ लोग हमारी नीति से सहमत नहीं हैं, तो ऐसा भी समय आएगा जब उन्हें भारत की जनता के समक्ष अपना दृष्टिकोण रखने का अवसर मिलेगा...*(व्यवधान)*

महोदया, मैं सभी राजनैतिक दलों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि वे संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। ऐसे कई महत्वपूर्ण विधायी उपाय हैं, जिनहें पारित करने की जरूरत है। यदि हम उन्हें पारित नहीं करते हैं, तो यह भारत की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा और 'आम आदमी' को इससे ठेस पहुंचेगीं हम संसद में प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करने के इच्छुक हैं। जैसा कि आपने देखा, हम संसद के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए विपक्ष के साथ हर संभव सहयोग कर रहे हैं।

अपनी जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे मुश्किलों का सामना करने की हमारे लोकतंत्र, हमारी संस्थाओं की क्षमता और हमारे सामाजिक आदर्शों तथा मूल्यों से लोगों का भरोसा कमज़ोर हो जाए। हमें यह यकीन रखना चाहिए कि हम अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण खुद कर सकते हैं। आइए, हम इस विश्वास के साथ सभी एकजुट होकर कार्य करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब हम प्रश्न काल प्रारंभ करते हैं।

प्र.सं. 221, श्री हंसराज गं. अहीर